10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निग/3123/II/15

1. बेनीबाई वेवा अजुद्दी नाई
2. भगवानदास तनय अजुद्दी नाई
   ग्राम देरी तह व जिला छतरपुर

......निगरानीकर्ता

विरूद्ध

डी.के. पासी (एड.) द्वारा आज दि.- 16/09/15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.प्र.शासन

...........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 13/07/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :–

डी. के. पासी (एडवो.) राजस्व मण्डल, मोतीमहल, म.प्र. ग्वालियर मो.: 9753356589

1. यह कि, प्रकरण के संक्ष्प्ति में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा देरी तह. व जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा क्र 1811 रकवा 0.603 हेक्टेयर भूमि पर निगरानीकर्ता के पिता अजुद्दी का 2/10/1984 के पूर्व से कब्जा होने के कारण दखलरहित अधिनियम के अंतर्गत निगरानीकर्ता के पिता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 14/7/2003 को तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया जिसे अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा काफी लंबी अवधि पश्चात् स्वप्रेरणा निगरानी मे पंजीबद्व कर निरस्त कर दिया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत रूप से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर को इस बात को मानना चाहिए था कि तहसीलदारद्वारा विधिवत् सुनवाई करते हुए इश्तहार प्रकाशन कर पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण में आए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपना विधि सम्मत् आदेश पारित किया था जिसमें कानूनन किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी परंतु अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा मनमाने तौर पर बिना किसी युक्तियुक्त आधार के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R:3123/III/15 ..... जिला छतरपुर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-12-15	1— आवेदक की ओर अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क श्रवण किए। 2— प्रकरण का आवलोकन किया एंव आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 345/अ—19—4/स्व0निग0/04—05 मे पारित आदेश दिनांक 13/7/15 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम देरी की भूमि सर्वे नं. 1811 रकवा 1.238 हे में से रकवा 0.603 हे का पट्टा भूमिस्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र.कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक के पूर्वज का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्र.क्र.19/अ—19/02—03 आदेश दिनांक 14/7/03 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रृटि नहीं की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच व सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। इस आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व किय गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गयी है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम,धन खर्च कर भूमि को काबिल काश्त् बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म.प्र.राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो	

for

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन आफ इंडिया एस.एस.सी – 44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय न्यायधीश एस.के.गंगेले ने वर्ष 2013 मे प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र.राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होनें आवेदक के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– मैंने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को 2/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 2003 में किया गया है। अतएव आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–07–2015 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/7/03 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य